पत्र संख्या–6 / योजना–01–1015 / 2011गृ0आ0........... /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषयः– **बिहार अग्निशाम सेवा के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 30 अदद वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशमन वाहन का फैब्रिकेशन हेतु लागत राशि ₹ 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक उप–महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–3013, दिनांक 12.08.2016 के संबंध में कहना है कि बिहार अग्निशाम सेवा के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–2398, दिनांक 13.03.2012 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अपरिहार्य कारणवश गत वित्तीय वर्षों में उक्त वाहनों का फैब्रिकेशन नहीं हो सका। चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 30 अदद वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशमन वाहन का फैब्रिकेशन के लिए ₹ 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 120.00 लाख (एक करोड़ बीस लाख रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग सं0–22 के बजट मुख्यशीर्ष–''2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–108–अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण–उपशीर्ष–0205–पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम' विपत्र कोड–P2070001080205 विषयशीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के द्वितीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप–महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

5. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

8. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

9. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0:–6 / योजना–01–1015 / 2011गृ0आ0.........9992......... / पटना, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / उप–महानिरीक्षक–सह–उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव